

2

भाग-11
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

7. परियोजना/स्कीम का स्थान
 - (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र : उत्तर प्रदेश राज्य
 - (ii) जिला : बाराबंकी
 - (iii) वन प्रभाग : सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी
 - (iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) : 0.06048 हेक्टेयर
 - (v) वन की कानूनी स्थिति : संरक्षित वन
 - (vi) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जायें : संलग्न है (संलग्नक- 5)
 - (vii) हरियाली का घनत्व : घनत्व - 0.2
 - (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी : समतल एवं उपजाऊ भूमि होने के कारण वानस्पतिक उपजाऊ (घास/झाड़ियों) के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।
 - (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा : राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे की भूमि से अनुमानित दूरी संरक्षित घोषित है। प्रस्तावित वनेत्तर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है।
 - (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबद्धित की जायें) : नहीं
 - (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ/रकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें? : नहीं
 - (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा संक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें। : नहीं
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम हैं यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या हैं? : न्यूनतम है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। : नहीं
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा
 - (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकामित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार। : प्रस्तावित किया गया है
 - (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकामित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप : संलग्न है (संलग्नक-)
 - (iii) रेपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि : संलग्न है (संलग्नक-)
 - (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिख्य : ₹0
 - (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धीय दृष्टिकोण के संक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किया जाये)। : लागू नहीं
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) : संलग्न है - 4
12. विभाग/जिला प्रोफाइल
 - (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र : 4402.00 वर्ग कि.मी. या 440200.00 हेक्टे0
 - (ii) जिले का वन क्षेत्र : 84.75 वर्ग कि.मी. या 8475.00 हेक्टे0
 - (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र : 42 मामले 199.9192864 हेक्टे0
 - (iv) 1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण : 392.2915328 हेक्टे0
 - क. दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि : लागू नहीं
 - ख. वनेत्तर भूमि पर : लागू नहीं
 - (v) प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति : 321.463734 हेक्टे0
 - क. वन भूमि पर : लागू नहीं
 - ख. वनेत्तर भूमि पर : लागू नहीं
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में संरक्षक की विशेष सिफारिश : विकास कार्य हेतु न्यूनतम संरक्षित भूमि का प्रयोग वनेत्तर कार्यों के लिए संस्तुति की जाती है। इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितिक क्षति लगभग शून्य है।

दिनांक : 5-09-2017

स्थान : बाराबंकी

हस्ताक्षर *Rohita*
(जावेद आरत2)
प्रमुख निरीक्षक
जी. पी. वन प्रभाग
बाराबंकी